



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759-221288, फ़ैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

पत्र.क्र./राजस्व/तीन/2023-24/ 2890

कोरबा, दिनांक 22/05/2023

–: रूचि की अभिव्यक्ति :-

नगर पालिक निगम, कोरबा क्षेत्रांतर्गत छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 में बनाये गये नियमों के तहत ग्राम-चारपारा, तहसील-दर्री जिला-कोरबा (छ.ग.) के खसरा क्र. 549/1/ख, रकबा 10.00 हे. क्षेत्र को नवीन रेत खदान, कोरबा-12 चारपारा तथा ग्राम-भिलाईखुर्द, तहसील-कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.) के खसरा क्र. 24, रकबा 4.00 हे. क्षेत्र को नवीन रेत खदान कोरबा-13 भिलाई खुर्द के नाम से घोषित किया गया है।

कलेक्टर, कोरबा को आवेदित उपरोक्त दोनों नवीन रेत खदान की भूमि में गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति हेतु पंजीकृत आर.क्यू.पी. से उत्खनन योजना तैयार करने तथा पर्यावरण स्वीकृति हेतु मान्यता प्राप्त व्यक्ति (क्यू.सी.आई.) द्वारा संबंधित कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्य की अभिरूचि आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म रुपये 5,000/- एफ.डी.आर./टी.डी. आर के साथ रूचि की अभिव्यक्ति बंद लिफाफे में दिनांक 06.06.2023 को सायं 3:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी/शर्तें निगम कार्यालय कार्यालयीन दिवस एवं समय तथा वेबसाइट www.korbamunicipal.in पर देखे जा सकते हैं।

अधिकारी

नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दुरभाष : 07759-221288, फ़ैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड - 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

नगर पालिक निगम, कोरबा क्षेत्रांतर्गत उत्खनन योजना एवं पर्यावरण स्वीकृति संबंधित कार्य की रूचि की अभिव्यक्ति हेतु नियम व शर्तें :-

नगर पालिक निगम, कोरबा क्षेत्रांतर्गत छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 में बनाये गये नियमों के तहत ग्राम-चारपारा, तहसील-दर्दी जिला-कोरबा (छ.ग.) के खसरा क्र. 549/1/ख, रकबा 10.00 हे. क्षेत्र को नवीन रेत खदान, कोरबा-12 चारपारा तथा ग्राम-भिलाईखुर्द, तहसील-कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.) के खसरा क्र. 24, रकबा 4.00 हे. क्षेत्र को नवीन रेत खदान कोरबा-13 भिलाई खुर्द के नाम से घोषित किया गया है।

कलेक्टर, कोरबा को आवेदित उपरोक्त दोनों रेत खदान की भूमि में गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति हेतु पंजीकृत आर.क्यू.पी. से उत्खनन योजना तैयार करने तथा पर्यावरण स्वीकृति हेतु मान्यता प्राप्त व्यक्ति (क्यू.सी.आई.) द्वारा संबंधित कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु निम्नांकित नियम व शर्तों निम्नानुसार हैं :-

1. उक्त कार्य के लिए आमानत राशि रूपये 5,000/- का एफ.डी.आर/टी.डी.आर प्रस्तुत करना होगा। रूचि की अभिव्यक्ति बंद लिफाफे में निर्धारित दिनांक सायं 3:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा, उसी दिन सायं 4:00 बजे बंद लिफाफा खोली जावेगी।
2. प्रस्तावित उत्खनन पट्टा के उत्खनन योजना तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्ति को पंजीकृत आर.क्यू.पी. प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा पेन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
4. पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने हेतु कंसलटेन्ट, क्यू.सी.आई. से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
5. उक्त कार्य में अनुभव रखने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को प्राथमिता दी जावेगी।
6. ऑफर की स्वीकृति पश्चात आशय पत्र जारी किया जावेगा। अनुबंध अनुसार उत्खनन योजना एवं पर्यावरण स्वीकृति संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रिम राशि का भुगतान का प्रावधान होगा।
7. छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 में विनिर्दिष्ट कार्ययोजना तैयार करने एवं पर्यावरण स्वीकृति संबंधित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना होगा।
8. किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, न.पा.नि. कोरबा का निर्णय सर्वमान्य होगा।


आयुक्त

नगर पालिक निगम,

कोरबा (छ.ग.)